सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 330
16/3/2010

## पी0आई0ओ0–सह–जिला शिक्षा अधीक्षक, पटना से आर्थिक दण्ड की राशि वसूलने का निर्णय

पटना, 16 मार्च :: राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सूचना आयुक्त श्री पी0एन0नारायण ने वाद संख्या–7071/07–08 के मामले में पूर्व में निर्धारित आर्थिक दण्ड की राशि को पाँच किस्तों, जो 5000 रु0 से कम न हो, अगली निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पी0आई0ओ0–सह–जिला शिक्षा अधीक्षक, पटना द्वारा आवेदिका श्रीमती अन्नु सिन्हा को ससमय सूचना सुलभ नहीं कराने के एवज में सूचना आयुक्त द्वारा आर्थिक दण्ड निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें नोटिश द्वारा यह निदेश भी दिया गया था कि आवेदिका को शीघ्र सूचना सुलभ करायें किन्तु ऐसा नहीं करने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया था।

ज्ञातव्य है कि सूचना आयुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक, पटना को एक मौका प्रदान करते हुए 30–4–10 या उससे पूर्व आवेदिका को पूर्ण सूचना सुलभ कराने तथा इस आशय से आयोग को अवगत कराने संबंधी आदेश जारी किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई हेतु 18 मई, 10 की तिथि मुकर्रर करते हुए पी0आई0ओ0 को स्वयं उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

———————